

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 257/2025 पर विचाराधीन ई0एस0 61/2025 आशीष कश्यप बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य में मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 19.09.2025 के अनुपालन में विपक्षी पार्टी संख्या-04 की ओर से अनुपालन आख्या।

में विजेन्द्र सिंह सुमन पुत्र श्री मुन्ना लाल आयु 47 वर्ष पद सहायक अभियन्ता पर कार्यरत हैं, यह सत्यापित करता हूँ कि मैं इस हलफनामों का उत्तरदाता/प्रतिवादी हूँ और प्रस्तुत मामले में सभी तथ्यों से भली-भांति अवगत हूँ। प्रस्तुत मामले के सन्दर्भ में मेरे द्वारा दिए गए जवाब निम्नलिखित हैं:-

1-यह है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 257/2025 पर आशीष कश्यप बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में मा0 अधिकरण का आदेश दिनांक 19.09.2025 पारित किया गया, जिसका प्रभावी अंश निम्नवत् है:-

1. By this execution application, the applicant is seeking compliance of the order dated 26.05.2025 passed in OA No. 257/2025. The applicant had raised a grievance against construction of 15 MLD Sewage Treatment Plant (STP) by the Respondent No. 4- U.P. Jal Nigam at a distance of 208 meters from the college campus of Asim Siddique Degree College. The OA was disposed of by the Tribunal by the order dated 26.05.2025 by issuing the following directions: -

"4. Having regard to the issue which has been raised by the applicant and the facts noted above, we are of the view that the representation submitted by the applicant to the Respondent No. 1- District Magistrate, Budaun is required to be duly considered and the ground situation especially the effect of the STP on the nearby college is required to be ascertain.

5. Hence, we dispose of the OA directing the Respondent No., 1-District Magistrate, Budaun to duly consider the representation and take appropriate remedial measures, if required, as expeditiously as possible, preferably within a period of two months from the date of receipt of a copy of this order."

(2) Learned counsel for the applicant submits that the above direction of the Tribunal has not been complied with till now and representation of the applicant has not been considered by the Respondent No. 1 and no remedial measures have been taken.

(3) Issue notice to the respondents. Applicant is directed to serve the respondents and file affidavit of service at least one week before the next date of hearing.

(4) List on 19.12.2025."

2- यह है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा सुनवाई हेतु अगामी तिथि दिनांक 19.12.2025 नियत की गयी है।

3- यह कि मा0 अधिकरण के उक्त पारित आदेश दिनांक 19.09.2025 के अनुपालन में निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 के पत्र संख्या 921/भू0ज0वि0/एस-26 (एन0जी0टी0), दिनांक 15.10.2025 के द्वारा विपक्षी पार्टी संख्या-4 की ओर से विभागीय अनुपालन आख्या तैयार किये जाने, प्रकरण की जाँच हेतु जनपद बदायूँ से विभाग का प्रतिनिधित्व किये जाने एवं वाद में वांछित मंतव्य/शपथ पत्र दाखिल किये जाने हेतु नोडल अधिकारी, जिला भूगर्भ जल प्रबन्ध परिषद, जनपद बदायूँ को नामित किया गया है।

4- उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा ग्राम मीरापट्टी, शेखपुरा मार्ग, बदायूँ में निर्माण कराये जा रहे 15 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 प्लांट के सम्बन्ध में जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद बदायूँ का मंतव्य/पैरावाईस नैरेटिव-

(1) जनपद बदायूँ के मुख्यालय के समीप उ0प्र0 जल निगम द्वारा ग्राम-मीरापट्टी शेखपुरा मार्ग, बदायूँ में 15 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 सीवेजेज ट्रीटमेंट प्लांट वर्तमान में निर्माणाधीन है जिसका निर्माण कार्यदायी संस्था उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) द्वारा किया जा रहा है।

(2) वर्तमान में जनपद बदायूँ में प्रथम एस0टी0पी0 प्लांट स्थापित किया जा रहा है जिससे जिला मुख्यालय एवं नगर पालिका परिषद बदायूँ की समस्त जनसंख्या के लिए आगामी 30 वर्षों की जनसंख्या के अनुरूप नगरीय क्षेत्र की सीवर ट्रीटमेंट एवं ड्रेनेज की आवश्यकता को देखते हुए एस0टी0पी0 प्लांट का निर्माण किया जा रहा है।

(3) वर्तमान में कोई भी ट्रीटमेंट प्लांट न होने के कारण दैनिक उपयोग होने वाला जल, नाइट सॉइल, सीवेजेज, नालियों एवं सॉकपिट के माध्यम से भूगर्भ जल में एवं नालियों में प्रवाहित होता रहा है।

Vinay Kumar Singh
Advocate
Notary Public
Budaun (U.P.) India

16 DEC 2025

EXECUTANT

Assistant Engineer
MINOR Irrigation
BUDAUN,


- (4) एस0टी0पी0 निर्माण के उपरान्त नगर पालिका बदायूँ एवं जिला मुख्यालय के समस्त सीवेजेज एवं नाले एस0टी0पी0 प्लांट में ट्रेप हो जायेंगे।
- (5) एस0टी0पी0 प्लांट चालू होने के उपरान्त (रीयूज, रिड्यूस, रीसायकल) हुआ पानी आस-पास के कृषि क्षेत्र, इंफास्ट्रैक्चर, निर्माण कार्य एवं अन्य कार्य में उपयोग होगा जिस कारण से भविष्य में इस क्षेत्र में भूगर्भ जल की खपत वर्तमान से कम होगी।
- (6) एस0टी0पी0 प्लांट निर्माण के उपरान्त जनपद बदायूँ एवं नगर पालिका बदायूँ के आस-पास कृषि कार्य एवं इंफास्ट्रैक्चर में उपयोग होने वाले भूजल पर निर्भरता कम होगी।
- (7) एस0टी0पी0 प्लांट निर्माण होने से भूगर्भ जल पर कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- (8) यह है कि ओ0ए0 सं0 257/2025 पर आशीष कश्यप बनाम स्टेट आफ यू0पी0 की याचिका के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 19.09.2025 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा ग्राम मीरापट्टी, शेखपुरा मार्ग, बदायूँ में निर्माण कराये जा रहे 15 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 प्लांट के संबंध में पार्टी संख्या 04 की ओर से वांछित सम्बन्धित अनुपालन आख्या संस्तुति सहित सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही कि ये जाने हेतु प्रस्तुत है।

दिनांक: 15/12/25

EXECUTANT

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

विपक्षी पार्टी संख्या-04 की ओर से
(सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग)
नोडल अधिकारी, जिला भूगर्भ जल
प्रबन्धन परिषद बदायूँ।
Assistant Engineer
MINOR Irrigation
BUDAUN




Vinay Kumar Singh
Advocate
Notary Public
Budaun (U.P.) India

16 DEC 2025

सत्यापन

मैं विजेन्द्र सिंह सुमन, पुत्र श्री मुन्ना लाल शपथ लेता हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त कथन पूर्णतः सत्य है और इसमें कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है। यदि उपरोक्त में से कोई कथन असत्य पाया जाता है तो मेरे विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही का विभाग को पूर्ण अधिकार होगा।

दिनांक: 15/12/25



हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता
Assistant Engineer
MINOR Irrigation
BUDAUN

EXECUTANT

Vinay Kumar Singh
Advocate
Notary Public
Budaun (U.P.) India

16 DEC 2025